

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला मीलवाडा

पीठाधीन अधिकारी:- श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:- 21/2017

प्रधानपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

प्रम बोवा श्रीकिशन गुर्जर जाति गुर्जर उभ वयस्क निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

.....प्रतीया

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता बालू ब्राह्मण निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

2. श्री छीतर पिता सेवा कौर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

3. श्री जमना पिता कालू कौर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

4. श्री कावुसिंह पिता शंभूसिंह राजपूत निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

5. श्री कानसिंह पिता इंद्रवसिंह राजपूत निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

6. श्री कल्याण पिता गामा गुर्जर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

7. श्री भूक पिता गामा गुर्जर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

8. श्री बन्दा पिता भूक गुर्जर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

9. श्री माणू पिता गामा गुर्जर निवासी रेडवास तहसील कोटडी जिला मीलवाडा

10. राजस्थान राज्य जारिय तहसीलदार कोटडी जिला मीलवाडा

.....विपक्षीण

प्रधान पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

---आदेश:--

दिनांक:-11/02/2017

प्रती की ओर से एक प्रधानपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम

1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाके ग्राम रेडवास

पटवार हल्का रेडवास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाला संख्या 40 की

आराजी संख्या 260/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खाला संख्या 421 की आराजी संख्या 726/1 रकबा

05 बीघा , खाला संख्या 38 की आराजी संख्या 256/4, 258/4, 258/7, 266/1, 397/3 कुल किला 3

रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त मूमि के विपक्षीण के मध्य आराजी मृतदायिवा के

सीमाचिन्ह नहीं होने से आयें दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रती अपने

खाल/संयुक्त खाल की कृषि मूमि की परखराही के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रथना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीणों को समन जारी

किये गये। समन बाद तामील पत्रावली पर लिखें गये। विपक्षीण बाबजूद सुनना के अर्जपरिचित एवं

किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं करायें जाने से प्रती का प्रथना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश

प्रदान किये जाते हैं एवं संबधित मू. अ. निरीक्षक सवाइपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष

को सूचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट माफत तहसीलदार कोटडी के तालब की जावें।

प्रती की ओर से प्रस्तुत प्रथनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील

कोटडी के बाके वाके ग्राम रेडवास पटवार हल्का रेडवास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से

2073 के खाला संख्या 40 की आराजी संख्या 260/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खाला संख्या 421 की

आराजी संख्या 726/1 रकबा 05 बीघा , खाला संख्या 38 की आराजी संख्या 256/4, 258/4,

258/7, 266/1, 397/3 कुल किला 3 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा पर परखराही उभयपक्षों को सूचित

किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के परखराही की जावें। प्रती इस कार्य के लिये कमिश्नर फीस

तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 700/-रुपयें वक्त परखराही कमिश्नर मू.अ. निरीक्षक को

जमा करवाया। खर्चा राशि जमा होने पर मू.अ. निरीक्षक द्वारा परखराही की जाकर पालना करें।

प्रतिनिधि:-तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की परखराही करार सात योग में पालना

रिपोर्ट प्रस्तुत करें।